

राजस्थान सरकार
निदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएं, राजस्थान जयपुर

क्रमांक : सीधी भर्ती / नेत्र सहायक / 2024 / 134

दिनांक : - 15.03.2024

आदेश

निदेशक, राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान जयपुर के पत्रांक 1727-32 दिनांक 4.3.2024 के द्वारा **नेत्र सहायक (अनुसूचित क्षेत्र)** के पद हेतु उपलब्ध कराई गई चयन सूची के आधार पर राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधीनस्थ सेवा नियम 1965 (यथा संशोधित नियमों) के अन्तर्गत निम्न अभ्यर्थियों को **नेत्र सहायक (अनुसूचित क्षेत्र)** के पद पर अस्थाई तौर पर नियुक्ति प्रदान की जाकर उनके नाम के समुख अंकित स्थान पर पदस्थापित किया जाता है। नवनियुक्त अभ्यर्थियों को दिनांक 28.03.2024 तक कार्यग्रहण करना होगा अन्यथा ये नियुक्ति आदेश स्वतः ही निरस्त माने जायेंगे।

चयनित अभ्यर्थियों को राज्य सरकार के नवीनतम नियम/आदेश/परिपत्रानुसार कार्यग्रहण करने की तिथि से दो वर्ष के प्रोबेशन काल में L-05 में निर्धारित नियत पारिश्रमिक (Fix Remuneration) रूपये 14600/- (चौदह हजार छ: सौ मात्र) प्रतिमाह कार्यग्रहण करने की तिथि से देय होगा। दो वर्ष का प्रोबेशन काल संतोषजनक रूप से पूर्ण करने पर इन्हे नेत्र सहायक के पद का नियमित पे-मेट्रिक्स एल-05 का न्यूनतम वेतन एवं अन्य भत्ते नियमानुसार देय होंगे।

S. No	Application ID	Applicant Name	Applicant Father Name	Applicant's Date of Birth	POSTING PALACE
1	OAT101483	KAJAL JAIN	ASHOK JAIN	03-05-1999	CHC ASPUR, DUNGARPUR
2	OAT101044	PAVAN DIDWANIYA	BANSHI LAL	09-10-1999	CHC KHERWARA, UDAIPUR
3	OAT101215	SHRUTI SHRIMAL	SATISH SHRIMAL	10-10-2000	CHC SIMALWARA, DUNGARPUR
4	OAT100991	SURENDRA SINGH RATHORE	BAHADUR SINGH RATHORE	16-05-1998	DH PRATAPGARH
5	OAT101536	HIRAL PORWAL	SANJAY PORWAL	06-06-2000	DH BANSWARA
6	OAT101227	JINANSHI GANDHI	MUKESH GANDHI	13-03-1999	CHC GHATOL, BANSWARA
7	OAT100823	RAVI PATEL	KACHRU LAL PATEL	19-02-2001	CHC RISHABHDEV, UDAIPUR
8	OAT101333	KULDEEP RAIDAS	MANGI LAL RAIDAS	09-10-1995	CHC DHARIYAVAD, PRATAPGARH
9	OAT100796	REWAT KUMAR GRASIYA	MANROOP RAM GRASIYA	06-01-1988	CHC ABU ROAD, SIROHI
10	OAT100960	JITENDAR BHAGORA	CHETAN DAS BHAGORA	25-05-1995	CHC CHHOTI SADRI, PRATAPGARH
11	OAT100953	MINAKSHI KHARADI	NARAYAN LAL KHARADI	09-01-1997	CHC Gogunda, UDAIPUR
12	OAT100157	GOUTAM LAL PARGI	BAPU LAL PARGI	03-04-2000	CHC GALIYAKOT, DUNGARPUR
13	OAT100604	SUMJI DEVDA	KANHENG DEVDA	06-10-1999	CHC KUSHALGADH, BANSWARA

यह नियुक्ति माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर/जोधपुर व अन्य में विचाराधीन याचिकाओं में पारित होने वाले निर्णयों के अध्याधीन होगी एवं विभिन्न निर्णयों के पालनार्थ वरीयता/वरिष्ठता दोनों परिवर्तनीय होंगी।

यह नियुक्ति आदेश निम्न शर्तों एवं सम्पूर्ण सम्पूर्ण पर जारी अन्य निर्देशों के अध्याधीन जारी किये जा रहे हैं :-

1. उक्त अभ्यर्थियों को कार्यग्रहण करवाये जाने से पूर्व उल्लेखित निर्धारित शर्तों के अनुसार संबंधित नियन्त्रण अधिकारी जिनके अधीन अभ्यर्थी का पदस्थापन किया गया है, की अध्यक्षता में गठित समिति के द्वारा पूर्ण रूप से संतुष्ट होने के पश्चात् ही कार्यग्रहण करवाया जायेगा।
2. नवनियुक्त अभ्यर्थियों पर राज्य सरकार के नवीनतम आदेश अनुसार पेंशन योजना परिवीक्षा अवधि पूर्ण होने के बाद लागू होगी।
3. उक्त अभ्यर्थियों की जन्म तारीख को उनके सैकेण्डरी के मूल प्रमाण पत्रों में उल्लेखित जन्मतिथि से संबंधित अधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति के द्वारा सत्यापित किया जायेगा।
4. दिनांक 01.06.2002 अथवा उसके पश्चात् दो से अधिक संतान वाले अभ्यर्थी नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे। इस आशय का शपथ पत्र संबंधित अभ्यर्थी से कार्यग्रहण के समय नियमानुसार प्राप्त किया जायेगा। कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 16.03.2023 के अनुसार शिथिलन देय है।
5. अभ्यर्थी द्वारा इस आदेश की प्रति का प्रिन्ट विभाग की वैबसाईट से डाउनलोड कर संबंधित अधिकारी के समक्ष उपस्थिति देने हेतु प्रस्तुत किया जा सकता है। सभी अभ्यर्थी प्रथमतः संबंधित नियंत्रक अधिकारी (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/प्रमुख चिकित्सा अधिकारी/प्रधानाचार्य/अधीक्षक/अन्य नियंत्रण अधिकारी) के समक्ष उनके कार्यालय में ही उपस्थिति देंगे। तत्पश्चात ही पदस्थापन स्थान के लिये कार्यमुक्त होकर प्रस्थान करेंगे।
6. सभी अभ्यर्थियों को कार्यग्रहण करते समय उक्त समिति के सम्मुख स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, पुलिस वेरिफिकेशन प्रमाण पत्र, शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यता, जाति व अन्य प्रमाण पत्रों की छाया प्रति, जो आवेदन पत्र के साथ संलग्न की है, को मूल ही दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत करनी होगी। सभी छाया प्रतियां स्वयं द्वारा प्रमाणित कर प्रस्तुत करनी होंगी। स्वास्थ्य प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा जारी कर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी से प्रतिस्ताक्षरित होगा एवं पुलिस वेरिफिकेशन प्रमाण पत्र संबंधित जिले के पुलिस अधीक्षक द्वारा जारी होने पर ही मान्य होंगे।
7. राजकीय सेवा में कार्यरत कर्मचारी अपने मूल पद से विधिवत कार्यमुक्त होकर ही नव पदस्थापन स्थान पर उपस्थित होंगे।
8. गर्भवती महिलाओं के सम्बन्ध में कार्मिक विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।
9. यह नियुक्ति, संबंधित सेवा नियमों एवं सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अध्याधीन होगी।
10. राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक प.6 (19)गृह-13 / 2006 दिनांक 22.05.2006 के अनुसार इस परिपत्र के जारी होने की दिनांक से राजकीय सेवा में नियुक्ति हेतु विवाह पंजीयन कराया जाना अनिवार्य किया गया है। विवाहित अभ्यर्थियों द्वारा यदि विवाह पंजीयन नहीं करवाया है तो वे इस नियुक्ति के पात्र नहीं माने जायेंगे।
11. उक्त परिपत्र जारी होने से पूर्व विवाहित अभ्यर्थियों को इस आशय का शपथ पत्र नॉन-ज्यूडिशियल स्टॉम्प पेपर पर प्रस्तुत करना होगा।
12. नवनियुक्त अभ्यर्थियों को राजस्थान राज्य के सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र में पिता के नाम से जारी किया हुआ अनुसूचित क्षेत्र का मूल निवासी होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

13. नवचयनित अभ्यर्थियों से इस आशय का शपथ पत्र लिया जावे कि उनके द्वारा किसी भी प्रकार से धूम्रपान/नशा नहीं किया जावेगा।
14. अभ्यर्थियों द्वारा कार्यग्रहण करते समय सम्बन्धित कौसिल वैध रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
15. वरिष्ठता (सीनियोरिटी) अंतिम वरीयता सूची के अनुसार होगी।
16. अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्र/दस्तावेज-फर्जी/परिवर्तित/कूट रचित पाये जाने पर नियुक्ति आदेश स्वतः ही निरस्त माने जायेंगे। साथ ही दोषी अभ्यर्थी के विरुद्ध न्यायिक/दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी। मूल प्रमाण पत्र संबंधित संस्था से सत्यापन होने के पश्चात् सही पाये जाने पर ही अभ्यर्थी को लौटाये जायेंगे। अन्य परिस्थिति में प्रमाण पत्र वापस नहीं किये जायेंगे।
17. ऐसे अभ्यर्थी जिनका चयन विशेष योग्यजन श्रेणी के अन्तर्गत नहीं हुआ है यदि मेडिकल जांच के दौरान उनमें दिव्यांगता के लक्षण पाये जाते हैं तो ऐसे अभ्यर्थियों को कार्यग्रहण नहीं करवाते हुए तत्काल निदेशालय को अवगत करावें।
18. अन्य राज्यों से सीनियर सैकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की अंकतालिकाओं की जांच आवश्यकता होने पर अभ्यर्थी के स्वयं के खर्च पर करवाई जायेगी।

(राकेश कुमार शर्मा)
निदेशक (अराजपत्रित)

क्रमांक : सीधी भर्ती/नेत्र सहायक/2024/134

दिनांक :- 15.03.2024

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री महोदय, राज0 सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राज0 जयपुर।
3. निजी सचिव, आयुक्त चिकित्सा शिक्षा विभाग एवं निदेशक, राजमेस।
4. संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-3) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. समस्त जिला कलक्टर, राजस्थान।
6. निदेशक (जन स्वा0/प0क0), मुख्यालय जयपुर।
7. निदेशक, राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान जयपुर को उनके पत्रांक 1727-32 दिनांक 4.3.2024 के संदर्भ में।
8. संबंधित संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान।
9. संबंधित समस्त प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कालेज/अधीक्षक, संलग्न चिकित्सालय समूह/प्रमुख चिकित्सा अधिकारी/मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को प्रेषित कर लेखा है कि
 - पदस्थापित अभ्यर्थियों की ज्वाईनिंग लिये जाने हेतु आपकी अध्यक्षता में तत्काल एक समिति का गठन किया जाकर आदेश में वर्णित बिन्दुओं के साथ-साथ निम्नांकित बिन्दुओं पर सत्यापन/परीक्षण कर कार्यवाही उपरान्त अभ्यर्थियों को उनके पदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण करायें।
 - **आरक्षण का लाभ:-** जिस जाति वर्ग में आरक्षण के आधार पर चयन हुआ है, उस जाति का प्रमाण पत्र राजस्थान राज्य के सक्षम प्राधिकारी द्वारा अभ्यर्थी के पिता के नाम से जारी किया हुआ ही मान्य होगा। पति एवं पिता दोनों के संयुक्त नाम से जारी अथवा पति के नाम से जारी प्रमाण पत्र मान्य नहीं है। यदि पिता के नाम से

राजस्थान राज्य का जारी जाति प्रमाण पत्र नहीं है तो पिता के नाम से राजस्थान राज्य का जारी मूल निवास प्रमाण पत्र, जिसमें जाति का स्पष्ट उल्लेख हो, मान्य है।

I. **नवनियुक्त अभ्यर्थियों को राजस्थान राज्य के सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र में पिता के नाम से जारी किया हुआ अनुसूचित श्रेत्र का मूल निवासी होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। गैर अनुसूचित श्रेत्र के अभ्यर्थी अनुसूचित क्षेत्र की भर्तियों में आवेदन करने हेतु पात्र नहीं हैं। किन्तु यदि अभ्यर्थी विवाह के माध्यम से अनुसूचित क्षेत्र का निवासी हुआ है तो अनुसूचित क्षेत्र की भर्तियों हेतु आवेदन कर सकता है। किन्तु ऐसे अभ्यर्थियों को जातिगत आरक्षण का लाभ देय नहीं है। जातिगत आरक्षण का लाभ केवल अनुसूचित क्षेत्र के मूल निवासियों को ही देय है।**

II. **विधवा वर्ग**—विधवा वर्ग में चयनित अभ्यर्थिया ज्वार्इनिंग प्रस्तुत करते समय सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र एवं मृतक से अभ्यर्थिया का विवाह होने संबंधित प्रमाण पत्र अथवा अन्य कोई प्रमाण पत्र जिससे अभ्यर्थिया एवं मृतक के पति-पत्नि होने की दस्तावेजों से पुष्टि होती हो, प्रस्तुत करे। किन्तु पति की मृत्यु तिथि अभ्यर्थिया के ऑनलाईन आवेदन की तिथि से पूर्व की होनी चाहिये।

विधवा श्रेणी में चयनित अभ्यर्थियाओं से मृतक की पत्नी होने से संबंधित प्रमाण पत्र/दस्तावेज प्राप्त किया जावे, जैसे विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र/अभ्यर्थिया द्वारा नोटेरी पब्लिक/प्राधिकृत अधिकारी/राजपत्रित अधिकारी से सत्यापित शपथ पत्र।

III. **परित्यक्ता (विच्छिन्न विवाह)**—परित्यक्ता संवर्ग में चयनित अभ्यर्थिया को विवाह विच्छेद का प्रमाण पत्र अर्थात् सक्षम न्यायालय द्वारा जारी डिक्री की जांच के आधार पर ही उपस्थिति ली जावे, सक्षम न्यायालय द्वारा जारी डिक्री अभ्यर्थी के ऑनलाईन आवेदन की तिथि से पूर्व की होनी चाहिये। इस संवर्ग में माननीय न्यायालय द्वारा पारित डिक्री/सक्षम न्यायालय द्वारा जारी आदेश की सत्यापित प्रति के अतिरिक्त अन्य कोई दस्तावेज मान्य नहीं है।

IV. **विशेष योग्यजन**—विशेषयोग्यजन श्रेणी (PH) में, जिन अभ्यर्थियों द्वारा इस वर्ग में आवेदन किया है एवं वरियतानुसार उनका चयन हुआ है, उनका मेडिकल बोर्ड से परीक्षण करवाया गया है एवं इन्हें चयन सूची में दिव्यांग श्रेणी (PH) में दर्शाया गया है तथा जिन अभ्यर्थियों द्वारा विशेषयोग्यजन श्रेणी (PH) वर्ग में आवेदन नहीं किया है और चयन भी सामान्य श्रेणी में ही हुआ है, उनके ज्वार्इनिंग के समय यदि अभ्यर्थी किसी भी रूप में आपके अनुसार दिव्यांग (PH) पाया जाता है तो उसकी ज्वार्इनिंग न लेकर उसके संबंध में निदेशालय को अवगत करायें।

अतः यदि कोई अभ्यर्थी दिव्यांग श्रेणी (PH) के अतिरिक्त संदिग्ध दिव्यांग श्रेणी का सूची में हो तो उसकी एस.एम.एस. हॉस्पिटल में MEDICAL BOARD से जांच कराने के उपरान्त ही आगे कार्यवाही की जायेगी।

- **योग्यता**— अभ्यर्थी की शैक्षणिक एवं व्यावसायिक योग्यता विज्ञप्ति में उल्लेखितानुसार होनी चाहिए। अभ्यर्थी द्वारा शैक्षणिक योग्यता जिस शिक्षा बोर्ड से प्राप्त की गई है यदि वह बोर्ड राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर से मान्यता प्राप्त नहीं पाया जाये तो कार्यग्रहण नहीं करायें। राजस्थान बोर्ड द्वारा

मान्यता प्राप्त बोर्ड की सूची माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर की वैबसाइट पर उपलब्ध है। यदि चयन सूची में दिये गये प्राप्तांकों से भिन्न प्राप्तांक अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत अंकतालिकाओं में पाये जाये ताके कार्यग्रहण नहीं करायें। व्यावसायिक योग्यता के लिये अभ्यर्थी का आवेदन किये जाने की तिथि एवं नियुक्ति पर उपस्थिति की दिनांक को भी पंजीयन होना आवश्यक है।

- **आयु सीमा**:- इस संबंध में जारी विज्ञप्ति अनुसार जांच की जाये।
- **संतान संबंधी शपथ पत्र**:- अभ्यर्थी से 01.06.2002 को या उसके पश्चात दो से अधिक जीवित संतान नहीं होने का शपथ पत्र लिया जावे। इस संबंध में विज्ञप्ति में उल्लेखित विवरण की पालना सुनिश्चित की जावे। शपथ पत्र में जीवित संतान की जन्म तिथि का उल्लेख होना चाहिये। कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 16.03.2023 के अनुसार शिथिलन देय है।
- विभाग में पूर्व में भी उक्त पदों की भर्तियों की जाती रही हैं, उस समय भी ज्वाईनिंग के समय जो सामान्य प्रक्रिया अपनाई जाती रही है, उनका भी ध्यान रखते हुये ज्वाईनिंग प्रक्रिया सुनिश्चित करायें।
- यदि आपको अभ्यर्थी के चयन में किसी भी स्तर पर कोई संदेह उत्पन्न होता है, कोई दस्तावेज फर्जी अथवा कूट रचित पाये जावे तो उस संबंध में तत्काल निदेशालय को अवगत करायें।
- चयन सूची में दिये गये डेटा एवं उपस्थिति के दौरान अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों में उल्लेखित जानकारी अथवा डेटा में भिन्नता पाई जाती है, तो ऐसे अभ्यर्थी की उपस्थिति नहीं ली जाये एवं वस्तुस्थिति से तत्काल अवगत करायें।
- मूल प्रमाण पत्र संबंधित संस्था से सत्यापन होने के पश्चात् सही पाये जाने पर ही अभ्यर्थी को लौटाये जाये। अन्य परिस्थिति में प्रमाण पत्र वापस नहीं किये जायें।
- उपस्थिति देने वाले अभ्यर्थियों की सूचना निदेशालय को भिजवायें।

10. प्रभारी सर्वर रुम को प्रेषित कर लेख है कि आदेश विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करें।
11. आदेश पत्रावली।

निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान, जयपुर

RajKaj Ref
6145035

Document certified by RAKESH KUMAR SHARMA <raskeshsharma@gmail.com>.

Digitally Signed by Rakesh Kumar Sharma
Designation : Director
Date :15-03-2024 01:03:28